पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 18, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	321–325	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	647–654	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	87–110	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 333/XXIV(6)/2019–01(15)/2011–चूँकि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2011) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निर्गत अधिसूचना संख्या 110/XXIV(6)/11 दिनांक 06 जून, 2011 के द्वारा राज्यपाल ने उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं;

और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निर्गत अधिसूचना संख्या 142/XXIV(6)/2019–01(15)/2011 दिनांक 13 फरवरी, 2019 द्वारा राज्यपाल ने उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का मुख्यालय रानीपोखरी, जिला देहरादून में स्थापित किये जाने की तारीख 13–02–2019 नियत करने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान की हैं;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2011) की धारा 1 की उपधरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अन्य समस्त उपबन्धों को प्रवृत्त करने की तिथि 22 अप्रैल, 2019 नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

NOTIFICATION

April 22, 2019

No. 333/XXIV(6)/2019-01(15)/2011--WHEREAS, In exercise of powers conferred by Subsection (2) of Section 1 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011 the Governor was pleased to grant consent for fixing date of promulgation of the Act by the Notification no. 110/XXIV(6)/11, dated 6 June 2011;

AND WHEREAS in exercise of powers conferred by Subsection (1) and (4) of Section 3 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011 the Governor was pleased to appoint 13.02.2019 as the date of establishment of the National Law University of Uttarakhand with its headquarters at Ranipokhri district Dehradun by the Notification no. 142/XXIV(6)/2019-01(15)/2011 dated 13 February 2019;

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred by subsection (2) of Section 1 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011, the Governor is pleased to appoint the date 22.04.2019 as the date on which all the remaining provisions of the Act shall come into force.

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 334/XXIV(6)/2019–01(15)/2011–राज्यपाल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2011) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानीपोखरी (लिस्ट्राबाद), जिला देहरादून में स्थित निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अन्तरण उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनूसूची

"जिला देहरादून के अन्तर्गत स्थित राजकीय रेशम फार्म, रानीपोखरी (लिस्ट्राबाद) में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड (MSME) की 10 एकड़ भूमि, और दिनांक 22–04–2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं जिस तारीख को यह अन्तरण प्रभावी होगा"।

NOTIFICATION

April 22, 2019

No. 334/XXIV(6)/2019-01(15)/2011--In exercise of powers conferred by Section 41 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011, the Governor is pleased to transfer the land situated at Ranipokhari (Listrabad), District Dehradun, mentioned in the following schedule, in favour of the National Law University of Uttarakhand and appoints the date 22.04.2019 as the date on which this transfer shall come into force:

SCHEDULE

"Ten acres land of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) department, Uttarakhand at Government Silk, Farm Ranipokhari (Listrabad) in district Dehradun".

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 335/XXIV(6)/2019–01(15)/2011–राज्यपाल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2011) की धारा 8 सपठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानीपोखरी, जिला देहरादून में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की शासी परिषद् के अस्तित्व में आने की तारीख दिनांक 22–04–2019 को नियत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो की निम्नलिखित सदस्यों को मिलकर गठित होगी :–

(1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;

(2) विश्वविद्यालय के कुलपति;

(3) विधि मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार अथवा यदि मुख्यमंत्री स्वयं विधि मंत्री भी है तो उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री;

(4) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश;

(5) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड विधान सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक सत्ता पक्ष तथा एक विपक्ष का होगा;

(6) उत्तराखण्ड के महाधिवक्ता;

(7) भारत की बार काउंसिल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(8) उत्तराखण्ड बार काउंसलि के अध्यक्ष;

(9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा आयोग के सदस्यों में से नामित व्यक्ति;

(10) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(11) दो प्रख्यात अधिवक्ता, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(12) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(13) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(14) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;

(15) महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय;

(16) कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(17) कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति;

(18) निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी;

(19) निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी;

(20) कुलाधिपति द्वारा नामित उत्तराखण्ड के दो जिला न्यायाधीश, जिनका न्यायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो तथा जो नैनीताल के जिला न्यायाधीश न हो।

NOTIFICATION

April 22, 2019

No. 335/XXIV(6)/2019-01(15)/2011--In exercise of powers conferred by Section 8 read with Section 9 of the National Law University of Uttarakhad Act, 2011, the Governor is pleased to appoint the date 22.04.2019 as the date of coming Into being the Governing Council of the National Law University of Uttarakhand at Ranipokhri, District Dehradun, which consists of the following members :--

(i) The Chancellor of the University, who shall be the Chairman thereof;

(ii) Vice Chancellor of the University;

(iii) Law Minister of Uttarakhand or if the Chief Minister himself is also the law Minister, then any other Minister nominated by him;

(iv) Two Judges from among the Judges of the High Court of the Uttarakhand nominated by the Chancellor;

(v) Two members of the Uttarakhand Legislative Assembly, one of whom from the ruling party and another from the opposition, to be nominated by the Speaker of the State Legislative Assembly:

(vi) Advocate General of Uttarakhand;

(vii) Chairman of the Bar Council of India or his nominee;

(viii) Chairman of the Bar Council of Uttarakhand;

(ix) Chairperson of the University Grants Commission or his nominee from among the members of UGC;

(x) Two distinguished lawyers to be nominated by the Visitor;

(xi) Two distinguished lawyers to be nominated byd the Chancellor;

(xii) The Principal Secretary/Secretary of Judical Department, Government of Uttarakhand;

(xiii) The Principal Secretary/Secretary of Finance Department, Government of Uttarakhand;

(xiv) The Principal Secretary/Secretary of Higher Education Department, Government of Uttarakhand;

(xv) Registrar General of High Court of Uttarakhand;

(xvi) Vice-Chancellor of Kumaun University or his nominee;

(xvii) Vice-Chancellar of Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University or his nominee;

(xviii) Director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy;

(xix) Director of Uttarakhand Academy of Administration;

(xx) Two District Judges of Uttarakhand having wide experience in the field of judicial education and training, not being the District Judge of Nainital, to be nominated by the Chancellor.

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 336/XXIV(6)/2019–01(15)/2011–राज्यपाल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2011) की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हेतु कुलाधिपति को सिफारिश करने के लिए गठित समिति के पदेन सदस्य के रूप में राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, यथास्थिति, को नामनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
अशोक कुमार,
सचिव।

NOTIFICATION

April 22, 2019

No. 336/XXIV(6)/2019-01(15)/2011--In exercise of the powers conferred by Clause (c) of Subsection (2) of Section 26 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011, the Governor is pleased to nominate Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand, as the case may be , as an Ex-Officio member of the Committee constituted to recommend to the Chancellor, for the appointment of Vice-Chancellor of the National Law University of Uttarakhand.

By Order,
ASHOK KUMAR,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/256–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 18, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

April 16, 2019

No. 1918/UHC/Admin.A/2019--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 16.04.2019 in compliance of Notification No. 123/UHC/Admin. A/2019 dated 09.04.2019 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

SUJEET KUMAR,
Relieving Officer.

Countersigned

PRADEEP PANT,
Registrar General
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

On proceeding for earned leave.

April 16, 2019

No. 1927/UHC/Admin.A/2019–CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 16.04.2019 for availing earned leave for 13 days *w.e.f.* 22.04.2019 to 04.05.2019 with permission to prefix 17.04.2019 to 21.04.2019 as holidays and suffix 05.05.2019 as Sunday holiday which has been sanctioned *vide* letter no. 1643/XIV/50/Admin.A dated 28.03.2019.

PRADEEP PANT,
Registrar General,
U.H.C. Nainital.

Countersigned

ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar (Infrastructure)
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

After availing of earned leave.

May 06, 2019

No. 2254/UHC/Admin.A/2019--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forennoon of 06.05.2019 after availing earned leave for 13 days *w.e.f.* 22.04.2019 to 04.05.2019 with permission to prefix 17.04.2019 to 21.04.2019 as holidays and suffix 05.05.2019 as Sunday holiday which had been sanctioned *vide* letter no. 1643/XIV/50/Admin.A dated 28.03.2019.

PRADEEP PANT,
Registrar General,
U.H.C. Nainital.

Countersigned

ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar (Infrastructure)
High Court of Uttarakhand, Nainital.

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

08 मई, 2019

पत्रांक–420/राज्य कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2019–20/केन्द्रीय फार्म–सी/एफ/खोया/चारी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म "एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ।

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री टूमैन इलैक्ट्रोनिक्स इण्डिया प्रा0लि0 रुद्रपुर। टिन–05014381827	(Form-F)-10	U.K.VAT/F-2009 0062424 To 0062433	खोने का कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

May 08, 2019

No. 420/State Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2019-2020/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-F" enlisted below.

I, Commissioner tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 (13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "form-F" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete of invalid
1-	M/s Tomain Electronics India Pvt. Ltd. Rudrapur TIN-05014381827	(Form-F)-10	U.K. VAT/F-2009 0062424 To 0062433	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

08 मई, 2019

पत्रांक–441/आयु0 कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2019–20/आ0घो0प0/खोया/चारी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16 जिनके खो जाने/चोरी हो/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री के0के0जी0 इण्डस्ट्रीज प्लाट नं0 31, सेक्टर–3 सिडकुल हरिद्वार टिन–05005442210	प्रारूप XVI (12)	U.K.VAT-M-2012 1082046, 1082052, 1082235 1082579, 1082580, 1082629 1082747, 3021787, 3021925 3021944, 3021977, 3022080	खोने का कारण

विपिन चन्द्र,

अपर आयुक्त राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

30 मार्च, 2019 ई0

पत्रांक 1479/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UA030312 (MPV) मॉडल 2001 चैसिस संख्या 11F10572551 इंजन नं0 E483A10566101 इस कार्यालय अभिलेखानुसार प्रबन्धक सेण्ट फ्रासिंस स्कूल टनकपुर जिला चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 06–03–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया था। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30–03–2019 को वाहन संख्या UA030312 (MPV) मॉडल 2001 चैसिस 11F10572551 इंजन नं0 E483A10566101 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

13 मई, 2019 ई0

पत्रांक 708/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06A-9563/2019—वाहन संख्या UA06A-9563 (TRUCK) मॉडल 2003 चेसिस संख्या 426021CWZ109930 तथा इंजन नं0 30C52265739 कार्यालय में श्री शमसूल हम मलिक पुत्र श्री मौ0 हक, निवासी ग्राम गौरी खेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनैन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30—06—2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिहं नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06A-9563 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426021CWZ109930 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

13 मई, 2019 ई0

पत्रांक 709/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06A-9562/2019—वाहन संख्या UA06A-9562 (TRUCK) मॉडल 2003 चेसिस संख्या 426021DWZ002559 तथा इंजन नं0 30D62266950 कार्यालय में श्री शमसूल हक मलिक पुत्र श्री मौ0 हक, निवासी ग्राम गौरी खेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनैन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30—06—2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिहं नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06A-9562 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 426021DWZ002559 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

13 मई, 2019 ई0

पत्रांक 717/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02A-0178/2019—वाहन संख्या UP02A-0178 (TRUCK) मॉडल 1991 चेसिस संख्या 364052539841 तथा इंजन नं0 692D02508514 कार्यालय में श्री कलविन्दर सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह निवासी म0नं0 257 मदईपुरा, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनैन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30—06—2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिहं नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02A-0178 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052539841 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

17 मई, 2019 ई0

पत्रांक 746/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38BG-3537/2019—वाहन संख्या HR38BG-3537 (TRUCK) मॉडल 1997 चेसिस संख्या 360324BSQ704536 तथा इंजन नं0 697D23BSQ714318 कार्यालय में श्री मुकुल बिष्ट पुत्र श्री खीम सिंह बिष्ट, निवासी जवाहर नगर, पंतनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनैन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–06–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38BG-3537 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324BSQ704536 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

17 मई, 2019 ई0

पत्रांक 747/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06TA-3729/2019—वाहन संख्या UK06TA-3729 (MOTRCAB/TAXI) मॉडल 2015 चेसिस संख्या MAKDF25FFFN100126 तथा इंजन नं0 N15A13011887 कार्यालय में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सहदेव सिंह, निवासी 54 बी शक्ति बिहार नियर अटरिया मंदिर रोड़, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनैन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–05–2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06TA-3729 (MOTRCAB/TAXI) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAKDF25FFFN100126 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रूद्रप्रयाग

आदेश

06 मई, 2019 ई0

संख्या 164/प्रवर्तन/लाइसेंस/2019–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लघंन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंम्बित करता हूँ :–

क0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री गिरीश असवाल पुत्र श्री परमवीर सिंह ग्राम गेरभुतेर पो0 तिलवाड़ा जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320160009089** VALIDITY (NT) **01-02-2036**	वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग।	परिवहन कर अधिकारी–1 (पौडी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019
2	अरूण कुमार पुत्र श्री जस पाल लाल पता– 70/6 ओ0एन0जी0सी0 कॉलोनी देहरादून पिन– 248001	**UK-0719960250906 VALIDITY(NT) 09-02-2026 VALIDITY(T) 01-05-2022**	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (पौड़ी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019
3	रणजीत सिंह पुत्र श्री सयान सिंह पता– गोयल नगर मनपुर मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश)	**1212/MBD/08 VALIDITY(NT) 15-02-2018**	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (पौड़ी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019
4	महावीर सिंह पुत्र श्री गौर सिंह ग्राम व पो0 दायरा जनपद रूद्रप्रयाग	**UK-1320110003914 VALIDITY(NT) 16-03-2031 VALIDITY(T) 28-05-2020**	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (पौड़ी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019
5	रबीस कुमार पुत्र श्री एम0लाल 170 ओ0एल0 रोड देहरादून पिन– 248001	**UK-072002 0271849 VALIDITY(NT) 11-05-2028 VALIDITY(T) 14-06-2020**	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1(पौड़ी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019
6	मुकेश लाल पुत्र श्री छतिया लाल ग्राम बंदवाडा पो0 बैरंगना जनपद चमोली	**UK-1120090006035 VALIDITY(NT) 22-04-2029 VALIDITY(T) 05-09-2020**	ओवरलोड सवारी(यात्री वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1(पौड़ी गढ़वाल)	06.05.2019 से 05.08.2019

1	2	3	4	5	6
7	अमित सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह ग्राम ढाकी तहसील –बिलासपुर जनपद रामपुर (उ0प्र0)	**15301(R.P.R) 2014 VALIDITY(NT) 17-05-2034**	वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
8	प्रदीप सिंह पुत्र श्री हयात सिंह ग्राम मठकोठ पो0 गैरसैण जनपद चमोली पिन– 246428	**UK-1120120003342 VALIDITY(NT) 02-08-2032 VALIDITY(T) 05-06-2020**	वाहन संचालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग।	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
9	सुधीर प्रसाद पुत्र श्री महेशानंद ग्राम मालगोद पो0 कांसुवा जनपद चमोली	**UK-1120160013513 VALIDITY(NT) 25-10-2036 VALIDITY(T) 25-02-2021**	ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
10	दलबीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह ग्राम मथौली पो0 सिमली जनपद चमोली	**UK-1120110000467 VALIDITY(NT) 09-03-2031 VALIDITY(T) 18-06-2021**	खतरनाक संचालन व ओवरस्पीड।	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
11	रघुवीर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह पता–आशुतोष नगर ऋषिकेश देहरादून पिन– 249201	**UK-1420010025529 VALIDITY(NT) 21-02-2021 VALIDITY(T) 29-04-2020**	ओवरलोड़ सवारी (भार वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
12	सुनील कुमार पुत्र श्री विनोद पता– 02 मुस्सापुर पुलिस चौकी बिहारीगढ़ बेहट सहारनपुर पिन– 247129	**UP11 20160016863 VALIDITY(NT) 16-08-2036 VALIDITY(T) 13-09-2021**	ओवरलोड़ सवारी (भार वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019
13	योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री मातवर सिंह ग्राम धौडीक पो0 खडपतियाखाल जिला रूद्रप्रयाग।	**UK-1320090000515 VALIDITY(NT) 05-11-2029 VALIDITY(T) 08-11-2020**	ओवरलोड़ सवारी (यात्री वाहन)	परिवहन कर अधिकारी–1 (रूद्रप्रयाग)	06.05.2019 से 05.08.2019

मोहित कुमार कोठारी

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/256–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 जून 2019 ई0 (ज्येष्ठ 18, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय–नगर निगम कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

नगर निगम कोटद्वार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन नियमावली, 2018

18 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 32/गजट/प्रकाशन/पेंशन/नियमावली/2018–19–नगर पालिका परिषद् कोटद्वार का उच्चीकरण उत्तराखण्ड शासन शहरी विभाग अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–939/IV(3)/2018-1 (श0नि0)/2017 देहरादून दिनांक 06–04–2018 के द्वारा नगर निगम कोटद्वार में उच्चीकृत किया गया। पूर्व व्यवस्था में नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन तथा भविष्य निधि का निर्धारण लेखा परीक्षा विभाग देहरादून द्वारा किया जाता था नगर निगम कोटद्वार के गठन के उपरान्त नगर निगम द्वारा ही पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। जिसके तहत नगर निगम कोटद्वार द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेवानिवृत्त सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2018 ड्राफ्ट तैयार किया गया है उक्त विनियम, 2018 का ड्राफ्ट पालिका बोर्ड बैठक द्वारा अपने प्रस्ताव सं0–2 दिनांक 15–12–2018 स्वीकृति प्रदान की गयी हैं साथ ही नगर पालिका परिषद् कोटद्वार/नगर निगम कोटद्वार से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से आपत्ति प्राप्त की गयी है। जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक जयन्त के अंक में दिनांक 06–01–2019 प्रकाशन किया गया है निर्धारित समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। बोर्ड प्रस्ताव के अनुरूप नगर निगम कोटद्वार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की विनियम, 2018 का उत्तराखण्ड शासकीय साधरण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेवानिवृत्त सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2018 नियमावली निम्नवत् है :–

नगर निगम कोटद्वार

2018 ई0

प्रस्ताव सं0–02 दिनांकः–15.12.2018

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–8–क क(1)(ख) के अन्तर्गत कार्यकारणी समिति के अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2018" मेरे द्वारा अनिधिनियम की धारा 548(1) (एफ) तथा (जी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये है तथा मैं, एतदद्वारा नगर निगम की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा 548(1) तथा (3) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु बनायें गये विनियमों की पुष्टि करता हूँ।

नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम–2018

(उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548(1) (एफ) तथा (जी) के अन्तर्गत):–

1. (1) यह विनियम नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2018 होगा।

(2) यह विनियम नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेगे और उन कर्मचारियों पर लागू होगे जिनकी नियुक्ति नगर परिषद/नगर निगम कोटद्वार मे अक्टूबर 2005 से पूर्व अकेन्द्रियत सेवा के पद पर हुई है पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होगे, एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के शासनादेशो के अनुरूप संशोधित होते रहेगे परन्तु दिनांक 01.10.2005 से लागू नई अंशदान पेशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध मे उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7संख्या–210/xxvii (7)/2008 देरादून दिनांक 3 जुलाई 2008 एवं नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिको की असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 संख्या– 272/xxvii(7)/56/2011 देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर 2011 से आच्छादित होगे एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के शासनादेशो के अनुरूप संशोधित होते रहेगे।

2. परिभाषायें:–

जब तक विषय व सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इन विनियमों मे–

(1) "अधिनियम" अथवा "एक्ट" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959

(2) "औसत परिलब्धियों" से तात्पर्य है सेवा निवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों का औसत धन। यदि इन 10 मासों में छुटटी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिये अगर वह छुटटी पर न रहा होता तो स्थायी नियुक्ति के लिये जो परिलब्धियों प्राप्त (एडमिसिविल)होती, वे परिलब्धियां समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577 (ड़) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि वह नियत दिन के पूर्व स्थायी हो चुका है तो औसत उपलब्धियां निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात नगर निगम के अन्तर्गत की गयी सारी सेवा के समय स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिला वेतन स्थायी वेतन माना जायेगा।

3. <u>परिलब्धियां से तात्पर्यः–</u>

(क) वेतन, वित्तीय पृष्ट पुस्तिका खण्ड–ड के भाग 2 से 4 में दिये परिलब्धियों रूल्स 9 (अ) में की परिभाषा के अनुसार तथा परिलब्ध यह है कि कोई अधिकारी के सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने के दशा में, के समय छुटटी पर हो तो यह परिलब्धियां जो भी प्राप्त होगी वह उस समय अवकाश पर न हो, परिलब्धियां समझी जायेगी।

4. "परिवार" में किसी अधिकारी/कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होगें।

(क) धर्मपत्नी, पुरूष, अधिकारी के सम्बन्ध में।

(ख) पति, स्त्री अधिकारी के सम्बन्ध में।

(ग) पुत्र

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियां

इसमें सौतले बच्चे और गोद लिये गये बच्चे भी सम्मिलित होगें।

(ड) माता–18 वर्ष से कम आयु की तथा अविवाहित और विधवा बहनें (जिनकी विमातृ माता तथा विमातृ बहनें सम्मिलित होगी)

(च) पिता

(छ) माता

(ज) विवाहित पुत्रियां (जिनमे सौतेली लड़कियां भी सम्मिलित होगी)

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

5. "अधिकारी" एवं "कर्मचारीं" से तात्पर्य है कि कोटद्वार नगर निगम के किसी ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी से है जो नगर निगम के अन्तर्गत किसी स्थायी सेवानिवृत्ति वेतनीय (पेंशनेबुल) पद पर नियुक्त हो तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो जिसको यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसका ऐसे किसी पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकार हो, (वुड होल्ड लियन) यदि उसका वह अधिकार निलम्बित न कर दिया गया हो (हैड हिज लियन नाट बीन सरपेन्डेंड)

6. "निवृत्ति वेतनीय पद" (पेंशनवुल पोस्ट) से तात्पर्य ऐसे पदों से है जिसके संबंध में निम्नलिखित तीन बातें पूरी होती है।

(1) पद नगर निगम सेवा नियमावली के अन्तर्गत नगर निगम कोटद्वार के किसी सवर्ग में हो।

(2) नियोजन मौलिक और स्थायी हो, और

(3) सेवा कार्य के लिये भुगतान नगर निगम कोटद्वार से किया जाता रहा है।

7. "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है कि जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो।

8. "सेवा निवृत्ति" से तात्पर्य है किसी अधिकारी/कर्मचारी का नगर निगम की सेवा से सेवा अवधि पूर्ण करने पर, असमर्थ (इनवैलिड) होने पर, बाध्य किये जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा संबंधी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थायी नियुक्ति वाले स्थायी पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थायी पद पर न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी/कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ–साथ 45 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर ली हो।

3. <u>अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विनियम प्रभावी है:–</u>

यह विनियम लागू हो:–

(1) उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिनकी नियुक्ति अक्टूबर 2005 से पूर्व इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत स्थायी रूप से सृजित किये गये पदो पर स्थायी रूप से हो व विनियम–2018 के खण्ड 1(2) में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप लागू होगा।

(2) (क) उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर भी लागू होगें जो नगर निगम बनने के दिनांक 9.12.1998 को अधिनियम की धारा 577 (ड) के अनुसार स्थायी रूप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारियों/अधिकारी हो गये है प्रतिबन्ध यह है कि म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा जमा किया गया भविष्य निधि अंशदान जिसमें बोनस तथा उससे अर्जित किया गया व्याज सम्मिलित हो, नगर निगम द्वारा खोले गये "निवृत्त वेतन निधि" में जमा कर दिया जायेगा और म्यूनिसिपल बोर्ड के अधीन की गयी सेवायें इस कार्य के लिये निगम के अन्तर्गत की गयी सेवायें समझी जायेगी यदि इन विनियमोंको अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारियों/अधिकारियों प्राविडेन्ट फण्ड में जमा किया गया धन वापस ले चुका है तो उसे देय अंशदान नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति निधि में जमा करना होगा।

(ख) अकेन्द्रीयत सेवा के जो अधिकारी/कर्मचारी इन विनिमयों के लागू होने के बाद केन्द्रीयत सेवा में जाते है व भी केन्द्रीयत सेवा में जाने के 90 दिन के अन्दर विकल्प द्वारा इन विनियमों को बनाये रख सकते है

किन्तु शर्त यह है कि यह विकल्प अन्तिम होगा और केन्द्रीयत सेवा में तैनाती की नगर परिषद/नगर निगम से उन्हें मूल वेतन व समय–समय पर लागू मंहगाई भत्ता पर 12 प्रतिशत की दर से या जो भी दर भविष्य में संशोधित हो की दर से पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नगर निगम कोटद्वार को भेजना होगा।

प्रतिबन्ध है कि इस खण्ड के अन्तर्गत किये गये विकल्प (आपसन) मान्य होगें जो इन विनियमों के प्रभावी होने के दिनांक के बाद इस हेतु अन्तिम रूप से निर्धारित दिनांक तक चाहे सेवा में रहते हुय या सेवा से निवृत्त होने के बाद किये गये हो यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी या उसका आश्रित इस विनियमों के प्रभावी होने के किसी विलम्ब होने के कारण विकल्प (आपसन) करने के बाद अपना भविष्य निधि नगर निगम अंशदान सहित वापस ले चुका हो तो वह अधिकारी अथवा उसका आश्रित भी उन विनियमों के अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त कर सकेगा, यदि वह उठाये गये नगर निगम के अंशदान को प्रोविडेन्ट फण्ट वापिस लेने के दिनांक से पुनः जमा करने के दिनांक तक के डाकखाने में बचत खाते मे समय–समय पर निर्धारित किन्ही परिस्थितियों में नगर निगम अंशदान को कोई भाग निर्धारित तिथि तक जमा करने में रह जाये तो वह वाद में मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से जमा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–

(1) इस विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि के खाते में जमा धन उसके ऊपर बकाया अग्रिम तथा उसके बीमा की किश्तों में दिये गये रूपयें तथा उस पर जोडे गये व्याज को मिला होने वाले धनांक का एक तिहाई भाग नगर निगम/म्यूनिसिपिल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकाय या सरकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का अनुदान समझा जायेगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस वितरण में आपत्ति हो तो वह इन विनियमों को अंगीकार करने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्य नगर अधिकारी को भेज सकता हैं जो अन्तिम रूप से नगर निगम का अंशदान निश्चित और निर्धारित करेंगे।

(2) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के न्यूनतम अंशदान (सब्सक्रिपसन) से अधिक अंशदान किसी भविष्य निधि में जमा किया हो, तो इस प्रकार के अधिक अंशदान का धन उसके सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेंष धनराशि का 1/3 भाग नगर निगम का अनुदान होगा।

भाग–1
(डैथ–कम–रिटायरमेंट ग्रेच्युटी)
(मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान)

4. (1) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होगें उनकी सेवानिवृत्ति पर उपादान " ग्रेच्युटी" दिया जायेगा जो उनकी परिलब्धियों के 16 1/2 गुने से अधिक न होकर यह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तिम आहरित उपलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त के बाद पेंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये तो उसे देय उपादान की धनराशि उसके द्वारा मनोनीत किये हुये व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो इसी विनियम के उप विनियम–2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर–बराबर देय होगा।

(3) उपनियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाला उपादान उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये समय समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही उपादान देय होगा।

<u>प्रतिबन्ध यह है कि:–</u>

(क) उन विनियम (1) से (3) तक वर्णित निवृत्ति उपादान केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होनें पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हों उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9(21) (1) वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग–2 से 4 में परिभाषित वेतन रूपयें 3700 और पेंशन अर्हसेवा 30 वर्ष 6 माह है तो निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) 3700 x 61 = 56425 रूपयें होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी –मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) की दरें निम्न प्रकार है:–

सेवा अवधि के अनुसार–

1. एक वर्ष से कम = परिलब्धियों का दोगुना।
2. एक वर्ष अथवा
   उससे अधिक किन्तु
   5 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 6 गुना।
3. 5 वर्ष अथवा उससे अधिक कि तु 20 वर्ष से कम = परिलब्धियों का 12 गुना
4. 20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिये परिलब्धियों से 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित अर्द्ध परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगा।

टिप्पणीः–यह दरे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राजकीय कर्मचारियों के लिये संशोधित दरों पर परिवर्तन होगी।

नामांकन (नोमिनेशन):–

5. (1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनियम लागू हो ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करें उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिसे विनियम–4 के उप विनियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिये नामांकित करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य को अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन उन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही किया जा सकता है, किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन पत्र में अपने पहले किये हुये नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को नामांकन पत्र में निम्नांकित व्यवस्था करनी होगीः–

(क) कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र में दिये हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जावे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्या हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो।

(ख) कि ऊपर कहीं हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जब उसके परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था अब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जायें।

(5) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो, किया जायेगा।

(ख)कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रदद कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिये जाने के तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्य नगर अधिकारी को प्रेषित कर दें।

(6) किसी नामाकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन पत्र में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न की गयी हो अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकन उपनियम (3) के खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रदद करते हुये इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेगें।

(7) प्रत्येंक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसको रदद करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिये मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनाक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेगें तथा अपनी अभिरक्ष में रखेगें

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रदद किये जाने का नोटिस जहां तक वह अखण्डनीय "वैलिड" हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्रापत किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

(9) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसके परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान (डैथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) पाने का नांमाकन पत्र द्वारा अधिकारी दिये बिना मृत हो जाये तो उपादान (ग्रेच्युटी) विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के कम में (क) से (घ) तक में दिये सभी लिखित सदस्यों को विधवा पुत्रियों को छोड़, समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो, और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियां हो अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार में उपरोक्त उपनियम 2(4) श्रेणी के कम (ड)से (झ) तक वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दिया जायेगा।

भाग–2

पारिवारिक पेंशन

6. (क) पारिवारिक पेंशनः–

(1) पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार होगीः–'
मूल वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु रूपयें 1275.00 प्रतिमाह। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों के अनुरूप परिवर्तनीय होगी।

(2) (क) पारिवारिक पेंशन के लिये

परिवार की परिभाषाः–

1. पत्नी/पति
2. मृत्यु के दिन को 21 वर्ष आयु से कम के पुत्र — सौतेले तथा सेवानिवृत्ति की से पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तान भी सम्मि –लित है
3. मृत्यु के दिन से 25 वर्ष से से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां।

(ख) पारिवारिक पेंशन–निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगीः–

क) सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवान या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो तक मिलेगा।

ख) विधवा/विधुर की मृत्यु पुनर्विवाह की दशा में ज्येष्ठतम नाबालिग पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

टिप्पणी–जहां दो या दो से अधिक विधवायें हों तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिष्ठता से है।

(ग) इस विनियम के अधीन दी गयी पेंशन एक ही समय में अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी।

(घ) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह /मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अवयस्क सन्तानों को उनके प्राकृत अभिभावक (नैचुरल गार्जियन) के माध्यम से दी जायेगी। किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगन गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा।

(ड.) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पेंशन नियमों में संशोधन करने पर सम्बन्धित नियम नगर निगम कोटद्वार कर्मचारी सेंवानिवृत्त सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2018 पर भी स्वतः लागू होगें।

भाग–3
सेवा–निवृत्त पेंशन

7. (1) अधिवर्ष निवृत्ति, अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान की धनराशि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियो पर लागू प्रकिया और सूत्र के अनुसार संगणित– समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रूपयें में अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां भी नियमानुसार गणना करने पर मासिक निवृत्ति मे रूपयें से कम कोई हो तो वह अगले पूर्ण रूपयें में बदल दी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों को मंहगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृत की गयी राशि के अनुसार नगर निगम कोटद्वार में पेंशनरों को देय होगी।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) पद "अक्षम और प्रतिकर पेंशन" का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में उसके लिये दिया गया हो।

रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स तथा सिविल रेगुलेशन का प्रयोगः–

8. (1) इन विनियमों में दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोड़कर इन विनियमों के अन्तर्गत देय उपादान, निवृत्ति वेतन, जिसमें पारिवारिक सेवा–निवृत्ति वेतन, भी सम्मिलित है– तथा सामान्य भविष्य निधि के संबंध में उत्तर प्रदेश रिटायरमेंन्ट बैनीफिट रूल्स, 1961 तथा समय–समय पर उनके किये गये परिवर्तन तथा इस संबंध में जारी किये गये सरकारी आदेश लागू होगें। यदि किसी विषय में इन विनियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस संबंध में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आधार पर मुख्य नगर अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत देय निवृत्ति वेतन (पेंशन)संबन्धित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी यदि अधिकारी/कर्मचारी सेवा–निवृत्त होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन (पेन्शन) उसे देय नहीं होगी।

पेन्शन का आगंणनः–

पेन्शन की धनराशि मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित सेवा–निवृत्ति के अन्तर्गत दस साल के औसत वेतन का 50 प्रतिशत होगी, बशर्ते निगम का अधिकारी/कर्मचारी 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि पेंशन अर्हकारी सेवा की अवधि कम हो तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी।

उदाहरणार्थः–यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी 31.12.98 को 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवा–निवृत्ति होता है और उसका वेतन उस तिथि से रूपयें 3200/– था तथा 1.8.98 के पूर्व वह रूपयें 3125.00 वेतन पा रहा था तो इसकी औसत उपलब्धि निम्न प्रकार होगीः–

मूलवेतन – 1.3.98 से 31.7.98 (3125x5)= 15,625.00

मूलवेतन – 1.8.98 से 31.12.98 (3200x5)= 16,000.00

योग– 31,625.00

औसत वेतन – 31625 / 10 = 3162.50

$$= \frac{3162.50 \times 33}{66}$$

= 1581.25 अर्थात 1581.00

यदि उक्त तिथि को उसने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तो पेंशन निम्नवत होगीः–

$$= \frac{3162.50 \times 25}{66} = 1198.00$$

भाग–4

सारांशिकरण (कम्यूटेशन)

9. (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसे इन विनियमों के विनियम 7 के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है उसे अपने सेवा–निवृत्ति वेतन (पेंशन) के धनांक का 1/3 भाग तक किसी भाग के सारांशिकरण (कम्यूटेशन) कराने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्युटेंशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होगें की उक्त कम्युटेंशन रूल्स के नियम 18 के तात्पर्य के लिये मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षण हेतु भेजेगें तथा इस हेतु शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी।

पेंशन के राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका जारी की गयी है जिसमे दो स्तम्भ (कालम) है प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की वह दर अंकित है जो प्रति एक रूपयें प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिये देय होती है राशिकरण के आगणन हेतु किसी पेंशनर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते है तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12 से गुणा किया जाता है एवं इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल को पुनः पेंशनर 1 मार्च 1971 से प्रभावी राशिकरण तालिका, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एन0एन0नं0–2 (1)पांच 71 दिनांक 6.3.1971 एंव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पृष्ठांकन संख्याः–जी– 2/687/(x–5)1957, दिनांक 21.3.1971 द्वारा निर्धारित

1.0 रूपये वार्षिक पेंशन पर राशिकरण मूल्य

अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–कय किये गये वर्षो की संख्या पर	अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–कय किये गये वर्षो की संख्या पर
17	19.28	51	12.96
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.66

38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

सेवानिवृत्ति अथवा पी0पी0ओ0 की तिथि से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन 1/3 भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है।

पेंशन के राशिकृत भाग को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष अथवा राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि से जब से कमी की गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुर्नस्थापित कर दी जायेगी।

सरांशिकरण की गणनाः–

उदाहरणार्थ – कोई अधिकारी/कर्मचारी 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 31 दिसम्बर 1998 को सेवानिवृत्ति होता है और पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण करने हेतु आवेदन पत्र दिया जाता है जो उसे देय राशिकरण की राशि क्या देय होगी।

दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होगी। राशिकरण की तालिका के अनुसार 61 वर्ष की आयु पर राशिकरण की दर 9.81 है।

अधिकारी/कर्मचारी की पेंशन 845.00 रूपयें निर्धारित होती है।

अतः राशिकरण की राशि 845/3

281.66 = 282x9.81 x 12 = 33197.04

या रू0 33197.00

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

(2) सराशिरण स्वीकृति उसकी धनराशि कम करके, उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत करने तथा उस संदर्भ में अन्य सूचनायें मांगने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या– 3 (बी))

(3) विनियम संख्या 7 के अनुसार स्वीकृत पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक की सरांशित (कम्पूट) कराया जा सकता है।

(4) संराशिकरण की स्वीकृति निम्नाकिंत प्रयोजनों हेतु दी जा सकती है।
(क) निवास भवन के निर्माण या क्रय।
(ख) लिये गये ऋण की अदायगी।
(ग) बच्चों या आश्रितों की शिक्षा।
(घ) विवाह व्यय हेतु।
(ड) व्यापार प्रारम्भ।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–4 (बी))

(5) कोई भी सरांशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थ्य तथा संभावित जीवन के सम्बंध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण सन्तोष न हो जाये कि प्रार्थी द्वारा दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य है एवं बची हुई पेंशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण–पोषण के लिये पर्याप्त है। यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी सरांशिकरण की स्वीकृति रदद की जा सकती है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–7)

(6) सरांशिकरण की धनराशि समय–समय सरकारी कर्मचारियों के लिये इस हेतु निर्धारित आधार पर निकाली जायेगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु जो किसी भी दशा में पंजीकृत आयु से कम न होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित आधार पर तालिका इससे पूर्व में दी गयी है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–8)

(7) सरांशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेन्शनर सेवा–निवृत्ति से पूर्व कार्यरत था, के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेंजा जाना चाहिये।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–14 के आधार पर)

(8) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रूप से यह जांच करनी चाहिये कि सरांशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थायी हित मे है। यदि वह स्थिति से सन्तुष्ट हो तो उसे प्रार्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कराकर अपनी स्पष्ट अनुंशसा के साथ–साथ प्रार्थना पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिये।

(9) चिकित्सा प्रामण पत्र देने के लिये निर्धारित प्राधिकारी–जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया गया है प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करके आगे दिये गये प्रपत्र पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक सरांशिकरण प्रार्थना पत्र के लिये अलग चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्षा न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–22 के आधार पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जांच के बाद सरांशिकरण की धनराशि तथा संरांशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवश्यक जांच हेतु भेजेंगे और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर सरांशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखा अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृति प्राप्त करेगें तथा आवश्यक भुगतान तथा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टियों करने की कार्यवाही करेगें, संराशिकरण की स्वीकृति की सूचना लेखाधिकारी की पेंशनर को इस प्रकार भेजना उचित है कि वह उसे प्राप्त कर समय से भुगतान प्राप्त कर सकें।

(11) सरांशिकरण, स्वीकृति आदेश के दिये दिनांक से ही प्रभावी होगा यह दिनांक स्वीकृति आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद होना उचित है तथा सारी गणना इसी आधार पर होनी चाहिये और सरांशिकरण का धनांक यथासम्भव उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिये।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–10 व 11 के आधार पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक अपना प्रार्थना पत्र वापस ले सकता है, सरांशिकरण स्वीकृति हो जाने के बाद सरांशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न ही वह स्वीकृत किया जा सकता है।

(13) यदि सरांशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उसके बाद बिना सरांशिकरण का धन प्राप्त किये पेन्शनर मृत हो जायें तो सारा धन उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जायेगा।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–13)

(14) 1–यदि चिकित्सा परीक्षण की राय में किसी ऐसी विशेष परीक्षा की आवश्यकता हो जिसे वह नहीं कर सकता है तो वह परीक्षा प्रार्थी के व्यय पर करायी जायेगी।सरांशिकरण स्वीकृत न होने पर इस प्रकार के व्यय की पूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जायेगी।

2–किसी पेंशनर के निम्नलिखित में किसी भी एक रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का सरांशिकरण नहीं किया जा सकता है।

रोगों के नामः–

1–एन्यूरिजम
2–टयूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स
3–डायोबिटीज
4–हाई ब्लड प्रेशर 200 सिस्टामिक से ऊपर
5–हाई ब्लड प्रेशर 160 सिस्टामिक से ऊपर एल्बोम्यूबेरिया के साथ
6–अनकम्पन्सटेड कार्डिक डीजीज
7–परनिशन ऐनिमिया कीयिवा
8–ल्यूकोरिया
9–एनाजिला पेवटाशिस
10–एपोलेक्सी
11–एसीटीज
12–बैरीबैरी
13–कैंसर के ऑप्रेरशन के बाद
14–मिट्रल एटोनोसिस
15–इन सैनिटी

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–18)

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना चाहिए तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा करके अपनी सम्मति, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रार्थी ने कहा तक सही सूचना दी है देनी चाहिए। चिकित्सा प्राधिकारी को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने भरके उसके हस्ताक्षर तथा उसकें बायें हाथ का अंगूठा व उंगलियों के निशान करा लेने चाहिए प्रार्थी की आवश्यकता के कारणों पर भी विचार करके अपनी सम्मति देनी चाहिये।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–19)

(16) सि0पें0 कम्युटेशन रूल्स के नियम 24 के अनुसार यदि कोई पेन्शनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करें अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा में संराशिकरण के योग्य न पाये जाये तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख दोबारा उपस्थित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जा सकती है।

1–पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा में समय का अन्दर एक वर्ष से अधिक हो।
2–दूसरी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद द्वारा हो तथा।
3–चिकित्सा प्राधिकारी की पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जानी चाहियें।

भाग – 5

विविध

नगर निगम पावतों की वसूली:–

10. (1) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक पेन्शन के घनांक से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता है।

बर्खास्तगी का प्रभाव:–

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतयः उसे अथवा परिवार को कोई उपादान अथवा पारिवारिक पेंशन देय न होगी, किन्तु यदि कार्यकारिणी समिति ऐसा निश्चय करे तो विनियम–4 के अन्तर्गत प्राप्त हो सकतने वाले उपादान के घनांक का आधा दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती है।

निवृत्ति वेतन निधि तथा अंशदान:–

11– इन विनियमों के अन्तर्गत जिन पर यह विनियम लागू होगें उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12प्रतिशत की दर से अथवा समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येंक मास उस तिथि से जिससे उनका वेतन देय हो, निकाल कर सेवानिवृत्ति वेतन निधि में जमा करेगें। यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवानिवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिये आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम निधि से आवश्यक अग्रिम देगें और बाद में उसे निवृत्ति वेतन निधि से निकालकर निगम निधि मे जमा करेगें अथवा देय पेन्शन अंशदान में समायोजित करेगें। पेंशन निधि में धन उपलब्ध होने पर उसे विनियोजित भी कराया जा सकता है।

निवृत्ति वेतन और उपादान के स्वीकृत विधि :–

12– 1(क)प्रत्येक अधिकारी के सेवानिवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महीने के भीतर उसके विभागीय प्रविष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

(ख–1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिये जाना चाहिये।

(ख–2)सेवा की अविच्छिन्नता सामान्तर प्रमाण पत्र निर्धारित की जानी चाहिए जहां तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षो की सेवा निश्चित रूप से

प्रमाणित की जानी चाहिए प्रथम वर्ष सेवा, यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका, स्केल रजिटस्र, एक्वेन्टेस रोल अथवा असली वेतन बिल में की जानी चाहिए यदि इस प्रकार के लेखा "रिकार्ड" उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा के प्रमाणिकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहिय, यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती प्रमाण पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए अन्तिम तीन वर्ष की सेवा का प्रमाणिकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिए। इससें पूर्व की सेवा काल को भी जा सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उनके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिये।

(ख–3)यदि किसी सेवाकाल को (ख–2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयोग किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिये स्वीकृत सेवाकाल निम्न प्रकार निकाला जावे:–

(1)–उपर्जित अवकाश के लिये यह माना जाना चाहिए कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपयोग किया है अन्य देय अवकाश के संबध में अब तक अन्यथा प्रमाण न हो तो यह माना जाना चाहिए कि उनका उपभोग किया गया है यदि अधिकारी ने अवैतनिक अवकाश प्राप्त लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्धर न हो या शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतमकाल ही उतना इस प्रकार का अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षो में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(2)यदि किसी अधिकारी की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसकें बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतमकाल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका का सेवा रोल में अभिलिखित नहीं है।

(ख–4)यदि सेवा पुस्तिका या सेवारोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणिकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हो तो उस काल के लिये अधिकासी से सादे कागज पर दो सहवती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिए यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत

हो रही है तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ख–5)पेन्शन संबंधी विवरण का आडिट निम्नाकित विधि से किया जायेगा जब तक कोई विशेष आशंका न हो साधारण तथा सारी सेवा के संबंध में प्रविष्टियों की पुष्टि के लिये निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिए।

(क) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

(ख) अन्तिम 3 वर्षो की अर्हकारी सेवा।

(ग) अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षो की सेवा।

(घ) यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि परिर्वतन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हो तो उनकी विशेष जांच की जानी चाहिए।

(ड) यदि किसी अधिकारी का सेवाकाल 33वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं उसकी सेवा पुस्तिका तथा संबन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (घ) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजगें। लेखाधिकारी सेवानिवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को जांच के लिय सम्बन्धित कार्यालय भेजेगें। उनकी जांच के बाद उपादान या सेवा–निवृत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्या लेखा परीक्षक द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र ''छ'' अधिकारी को भेजी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्यनगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षण (अपने अधीन्स्थ कर्मचारियों के संबंध में) को यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन की स्वीकृति में अत्याधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र ''झ'' में घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मुत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन ''पेंशन'' का भुगतान स्वीकृत कर सकते है इस प्रकार के भुगतान के धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलम्ब कर सके, निर्धारित किये गय मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(2) सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान की भुगतान की विधि:–

सेवानिवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। भुगतान के लिये सेवा नियुक्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपंत्र "ज" में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र "ज" व निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदुपरान्त पेन्शनर को चैक दी जायेगी इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति पेशन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो वह प्रपत्र "ज" भरकर उस पर पिछले मास की सेवानिवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी से मोहर के साथ प्रमाणित कराकर लेखा अधिकारी को भेजेगें और लेखाधिकारी सेवानिवृत्ति के वेतन के धनांक से मनीआर्डर कमीशन काटकर शेष धन मनीआर्डर से भेजेगें और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्टि करेगें किसी भी दशा में 12 मास से अधिक लगातार भुगतान इस प्रकार नहीं किया जायेगा । एक वर्ष बाद भुगतान करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचरी की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजीका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियां पूरी करेगें।

निवृत्ति निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया :–

13– **पेन्शन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रकिया** :– मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंन्शन निधि स्थापित की जायेगी। जो कोटद्वार नगर निगम पेन्शन निधि के नाम से जानी जायेगी जिसे आगे "निधि" कहा गया है नियम 11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेन्शन संबंधी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

14– **रोकड़ बही खाता** :– निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किये जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जायेगी। मुख्य नगर अधिकारी द्वारा रोकड बही इस विनियमवली से संलग्न पत्र "अ" में रखी जायेगी।

15– **पेन्शन अंशदान के सम्बन्ध में प्रकिया** :– पेन्शन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमाह के छठे दिनांक के पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा ही जायेगी।इस विनियमावली से संलग्न प्रपंत्र "ट" में चालान तैयार किया जायेगा। चालान के साथ एक सूंची होगी जिसमें सेवा के

सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व में विवरण दिया जायेगा। यह चालान चार प्रतियों में तैयार किया जायेंगें चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियां बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक़ मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेगी। लेखा अधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा। चालान की प्रतियां लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी।

16– **लेखा बहीं खाता रखा जाना** :– सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता भी इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र "ठ" में रखा जायेगा। खाता बही में प्रतिमास अधिकारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि प्रविष्ट की जायेगी खाताबही में प्रविष्टियां चालानों की प्रतियों से की जायेगी और प्रत्येक मास के अन्त में खाता बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जाएगा। खाता बही का पुर्नविलोकन यह निश्चित करने के लिए किया जायेगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से संबन्धित पेंन्शन संबंधी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा।

17– **पेन्शन भुगतान आदेश** :– इस विनियमावली के अधीन पेन्शन/पारिवारिक पेंन्शन/उपादान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के बाद प्रत्येक मामले में स्वीकृति की गयी पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन/उपादान के भुगतान के लिये मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस विनियमावली के संलग्न प्रपंत्र "ड" में "पेंन्शन भुगतान आदेश" जारी किया जायेगा। इस आदेश की प्रतियां पेन्शन भोगी और उस विभाग को जहा से सम्बद्ध सेवा के सदस्य सेवानिवृत्ति हुआ है को पृष्ठांकित की जायेगी।

18– **लेखा–परीक्षा जांच रजिस्टर** :– पेन्शन भोगियों को पेन्शन समय पर और ठीक–ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उददेश्य से प्रपत्र "थ" में एक लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा इस रजिस्टर में प्रत्येक पेन्शन भोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि

19– जिन अधिकारियों को यह विनियम प्रभावी होगें उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेगा और उसमें अपने 10 पैसे प्रति रूपयें से कम न होते हुये भी 25 पैसा प्रति रूपया प्रतिमाह का अपना अंशदान जमा करना पडेगा। अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के शीध्र बाद घोषित कर देना पडेगा। जब तक कि इस में किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षण को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें, अगले वर्ष के लिय वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।

20– भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा। जिससे उसमें व्याज मिल सकें।

21– मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी/कर्मचारी को लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियाजित कर दें।

22– प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि का धन भुगतान के लिये नामांकन पत्र विनियम 6 के अनुसार देना होगा। यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेगें और प्राप्ति की दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने अभिरक्षा (कस्टडी) में रखे जायेगें।

23– सामान्य भविष्य निधि में जमा हुये धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी अग्रिम/ऋण स्वीकृत कर सकते है। इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी।

(1) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी। विषय परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दें सकते है लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि में जमा धनराशि के अधिक से अधिक नहीं होगी।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिये दिये जायेगें जिनका वहन करना उनके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों

के अन्तर्गत अनिवार्य हों। इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु संबंधी व्यय सम्मिलित होगें।

(3) यह अग्रिम अधिकारी/कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेगें इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किश्त देय होगी।

(4) अग्रिम की व्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरा अग्रिम साधारणतः दिया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

24— यदि कोंई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन से पॉलिसी का "प्रीमियम" अदा करने के लिये पॉलिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रतिग्रहण "प्लेज" कर सकता है और प्लेज की हुई पॉलिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण (कस्टडी) में रहेगी। पॉलिसी की "प्रीमियम" के लिये अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कारपोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पॉलिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। पॉलिसी परिपक्व (मैच्योर) होने पर उसका रूपया वसूल करकें अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा। यदि संबन्धित अधिकारी पॉलिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाये तो मुख्य नगर अधिकारी के हिम में पॉलिसी प्रतिग्रहण करके उसे लौटा देगें।

25— किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते मैं सामान्य भविष्य निधि मे जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर उसे लोटा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिये प्रत्येक के लिय साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवा निवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है।

(1) अपने निवास के लिय मकान बनाने, क्रय करने या इस संबंध में किये गये ऋण को अदा करने अथवा लड़की, लड़के के विवाह करने के लिये अपने और उस पर मिले ब्याज के धन को 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से 10 वर्ष पूर्व।

(2) अपने आश्रित बच्चों को निम्नलिखित शिक्षा के लिय तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे तक, जो भी कम हों।

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्योगिक (टैक्नीकल) कला संबंधी (प्रोफेशनल) पाठयक्रमों "क्रोर्ससेज" के लिये और

(ख) भारत में ऐसे चिकित्सा "मेडिकल" अभियान्त्रिक इन्जीनियर तथा अन्य औद्यौगिक "टैक्नीकल" अथवा "विशिष्ट "स्पेश्लाईज्ड" पाठयक्रमों "कोर्सेज" के लिये जिनकी पढाई का समय तीन वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इण्टरमीडियट के बाद की हो, दोनों की दशाओं में धन निकालने के लिये 6 माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में, जिसके लिये वह निकाला गया था प्रयोग कर लिया गया।

ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लोटा देना होगा। जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें यदि अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोष दिला सके अथवा बचा हुआ धन लौटाये तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किश्तों में वसूल करने के लिय सक्षम होगें।

25— समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भविष्यनिधि आदि के संबंध में जो भी संशोधन किये जायेगें वो स्वतः ही इस नियमावली के अन्तर्गत लागू समझें जायेगें।

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, कोटद्वार।

अनिल चन्याल,
नगर आयुक्त/मुख्य नगरधिकारी,
नगर निगम, कोटद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/256 भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।